कार्यालय नगर परिषद्, खगौल

nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/CitizenHome.html

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक 1137 दिनांक 29/11/2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

विषयः— लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0:— 716/2017—18 में अंकित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद् खगौल से सम्बंधित लेखा परिक्षा प्रतिवेदन सं0— 716/2017—18 में लंबित (वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2016—17) कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

कंडिका 1	नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेट फीस नही लेने के कारण 1.16लाख की हानी	उक्त के सम्बंध में कहना है कि नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेंट फीस की वसूली की जाती हैं जिससे कि अगली अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी (साक्ष्य संलग्न) अतः इस कंडिका को विलोपित किया जायें।
2	विधुत विपत्र में विलम्ब अधिभार 4.32 लाख	उक्त आपति के सम्बंध में कहना है कि जो बिजली बिल बकाया है वह विजली विभाग के द्वारा स्ट्रीट लाईट के लिए भेजा गया था। जोकि आजतक कभी लगा ही नही गलत बिजली बिल के सम्बंध में विभाग से आवेदन भी दिया गया था जिसकी प्रति संलग्न है। इसके अलावा विभाग के द्वारा भरी विधुत विभाग को होल्डिग कर के बकाया कर की राशि समायोजन करने से सम्बंधित पत्राचार किया गया था जिसके आधार पर होल्डिग बकाया की मांग विभाग को उपलब्ध कराया गया था। इसलिए भुगतान में देर हुई जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
3	ससमय भविष्य निधि की कटौती नही किये जाने से दायित्व का सृजन रू0 7.96 लाख	भविष्य निधि मद में कटौती की गई राशि को भविष्य निधि खाते में जमा कर दी गई है। कृप्या इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
4	भविष्य निधि कटौती का संबंधित विलम्ब से जमा किये जाने के कारण सुद की हानि रू0 0.68 लाख	भविष्य निधि मद में कटौती की गई राशि को भविष्य निधि खाते में जमा कर दी गई है। कृप्या इस कं.डेका को विलोपित किया जाए।
5	भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति में रू0 6.11 लाख श्रम शेष की वसूली नही किया जाना।	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद खगौल में संबंधित दक्ष कर्मचारी नही होने के कारण श्रम आयकर की कटौती नही की जा सकी थी परन्तु अब श्रम शेष की कटौती अंकेक्षण आपति के आलोक में की जा रही है। इस साक्ष्य संलग्न की जा रही है तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें।
6	1. होल्डिग रसीद से प्राप्त राशि अंकेक्षण	1.समय—समय पर विभाग के निर्देशानुसार विभाग के द्वारा

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

6	1. होल्डिंग रसीद से प्राप्त राशि अंकेक्षण के दौरान जमा रू 23414	1.समय–समय पर विभाग के निर्देशानुसार विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्पति कर वसूली से संबंधित साफ्टवेयर पर ही कार्य किया जाना था। जिस सम्बंध में विभाग द्वारा हमेशा पत्राचार किया गया था। इसलिए वितीय वर्ष 2015–16 दिनांक 13.07.2015 से सम्पति कर साफटवेयर के माध्यम से राशि की वसूली की जाने लगी जिसका साक्ष्य विभाग द्वारा पत्राचार किये गये पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। इसके अलावा जितने भी आय वितीय वर्ष में पी0.आई0.डी0. के माध्यम से वसूली की गई थी इसका प्रति को बैंक के विवरण के साथ अगलें अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
		2. निकाय के द्वारा दिशा–निर्देश सुझाये गये पत्र इस के साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
		3. उक्त के सम्बंध में कहना है कि मांग एवं वसूली से सम्बंधित साक्ष्य विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गई थी इसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
7	गृहकर बकाया राशि रू 53.72 लाख	1. उक्त के सम्बंध में कहना है कि नगर परिषद खगौल का सम्पति कर से सम्बंधित भाग विभाग के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। जिसके आधार पर ही वसूली की जा रही थी इसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा हैं अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
		2. समय–समय पर वसूली के सम्बंधित मांग सूचना तैयार कर भेजी जाती है। बड़े बकाये दारों को सूचना पत्र के माध्यम से सूचना भी दी जाती है। इसके ऐवज में वसूली भी की गई है इसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
		3. समय–समय पर इस सम्बंध में विभाग के द्वारा सम्पतिकर पुनरीक्षण कार्य करने से सम्बंधित दिशा–निर्देश दिया जाता रहा है। इस दिशा में विभाग के द्वारा GIS base Map तैयार भी कर लिया गया है। एवं अगले फेज में सम्पतिकर पुनरीक्षण से सम्बंधित कार्य भी विभाग के द्वारा किया जाना है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
8	सैरात बदोबस्ती में स्टॉम्प शुल्क नही लिया जाना रू0 6.75 लाख	उक्त के आलोक में कहना है कि निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(घ) के अनुसार अचंल सम्पति से सम्बंधित किसी भी लिज एग्रीमेन्ट जिसका मूल्य 100 रू से अधिक एवं 1 साल की अवधि से अधिक हो की भी निबंधन कराना अनिवार्य है। नगर परिषद खगौल में बदोबस्त की सैरात की अवधि चूकि 1 वर्ष से अधिक नही थी अतः इसका निबंधन नही कराया गया था। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
9	संचार मिनारों (मोबाईल/इन्टरनेट, इत्यादि) पर रू0. 4.27 लाख	माननीय उच्च न्यायालय में टॉवरो से टैक्स की वसूली सम्बंधित मामला के लंबित होने के कारण वसूली हेतू दण्डात्मक कार्रवाई नही की गई थी। विभागीय पत्रांक 4988 दिनांक 01.08.2016 के आलोक में वसूली हेतू नये सिरे से मोबाईल टॉवरों की सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य संलग्न अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

10	अग्रिम राशि	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपति के आलोक में कहना है कि अंग्रिम राशि से सम्बंधित अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया हैं एवं सभी अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
11	बिना फार्म C-III प्राप्त किये वैट की राशि का भुगतान रू 0.11लाख एवं अन्य अनियमित्ताएँ	
	1. बिना फार्म C-III प्राप्त किये वैट की राशि कुल रू 11334 की राशि का भुगतान किया गया था।	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपति के आलोक में कहना है कि वैट के विरूद्व रू0 11334 की भूगतान की गई राशि के एवज में A. K Vision से फार्म C-III कार्यालय में छानबीन किया जा रहा हैं जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	2. बिहार वितीय नियमावली 2005 के नियम के अनुसार सामाग्री के कय के हेतू कय समिति का गठन नही किया गया था।	उक्त के सम्बंध में कहना है कि नगर परिषद खगौल के अन्तर्गत समानो कि कय करने हेतू सशक्त स्थायी समिति ही अधिकृत है इस लिए सामाग्री की खरीद का निर्णय एवं खरीदगी सशक्त स्थायी समिति के द्वारा ही की जाती है। इस संबंध में सशक्त स्थायी समिति का मिनटस साक्ष्य के रूप में संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाएं।
	3. बिहार वितीय नियमावली 2005 के नियम के अनुसार परफॉरमेंन्स सिक्युरिटी की राशि की कटौती नही की गई थी	उक्त के संबंध में कहना है कि भूल वश परफॉरमेंन्स सिक्युरिटी ही की कटौती नही की जा सकी थी इसका आगे पूरा–पूरा ध्यान रखा जाएगा। ताकि इस तरह की गलती ना हो । अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
12	बिजली बिल के त्वरित भुगतान में नही किये जाने से मिलने वाली छूट का भुगतान नही रू 2.70 लाख	उक्त के आलोक में कहना है कि विभाग के द्वारा दिशा–निर्देश के आलोक में समायोजन करने से सम्बंधित विघुत विभाग का सम्पति कर बकाया राशि का मांग विभाग को उपलब्ध कराया गया था। जिसे कि सम्पति कर बकाया राशि से समायोजन किया जाना था। इसलिए विधुत विपत्र के आलोक में भुगतान समय पर नही किया जा सका था।विभाग द्वारा कराये गये पत्र की प्रति साक्ष्य के रूप संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
13	गृहकर की राशि का विलम्ब से जमा रू0	उक्त के आलोक में कहना है कि संग्रहण बही, रसीद पुस्तिका एवं सत्यापन साक्ष्य पदाधिकारी द्वारा कराये जाने के उपरान्त ही कर संग्रहको के द्वारा आंतरिक संसाधन के खाते में जमा ससमय कर दिया जाता है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
14	इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के तहत टीडीएस की कटौती नही रू0 0.04 लाख	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपति के आलोक में कहना है कि गृहकर के 01% प्रतिशत कमीशन पर कर संग्रहक को भुगतान किये गये कमीशन पर इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 194 (1) के तहत टीडीएस की कटौती की जा रही है। जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
15	1. रॉयल्टी की कम कटौती किये जाने के कारण राजस्व की क्षति रू0. 3688	उक्त के संबंध में कहना है कि सुझाये गये रॉयल्टी की कम कटौती संबंधित संवेदक से वसूली करने हेतू प्रकिया की गई है। जिससे कि वसूली होने से संबंधित अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

	2. सुरक्षित जमा राशि की कटौती नही किये जाने से संवेदक को अदेय सहायता रू0 0.47लाख	उक्त के संबंध में कहना है कि भूल वश कटौती नही की जा सकी थी । आगे इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिससे की अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
	3. लधु खनिज की ढुलाई पर अनियमित व्यय रू0 0.93 लाख	उक्त के आलोक में कहना है कि संवेदक से एम तथा एन एवं चालान की प्रति प्राप्त करने हेतू प्रकिया की जा रही है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
16	अधिक भुगतान चतुर्थ वित	
	1. रॉयल्टी की कम कटौती किये जाने के कारण राजस्व की क्षति रू0. 693	उक्त के आलोक में कहना है कि ऐवज में कम की गई कटौती की राशि संबंधित संवेदक से वसूली करने हेतू प्रकिया की जा रही है।जिससे की अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाएं।
	2. सुरक्षित जमा राशि की कटौती नही किये जाने से संवेदक को अदेय सहायता रू 0.49 लाख	उक्त के संबंध में कहना है कि भूल वश कटौती नही की जा सकी थी । आगे इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिससे की अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
	3. लधु खनिज की ढुलाई पर अनियमित व्यय रू0 0.95 लाख	उक्त के आलोक में कहना है कि संवेदक से एम तथा एन एवं चालान की प्रति प्राप्त करने हेतू प्रकिया की जा रही है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
	4. अनियमित व्यय रू0. 2694	उक्त के आलोक में कहना है कि संवेदक से एम तथा एन एवं चालान की प्रति प्राप्त करने हेतू प्रकिया की जा रही है। एवं संवेदक से सुरक्षित जमा राशि की कटौती की जा रही है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
17	नगर परिषद के दुकानो पर रू0. 2.23 लाख किराया बकाया	उक्त के आलोक में कहना है कि नगर परिषद की दुकानो पर बकाया राशि की वसूली कर ली गई है जिसे की अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी। साक्ष्य के रूप वसूली गई राशि का प्रमाण संलग्न की जा रही है। इसके अलावा दुकानदारो के साथ नगर परिषद के द्वारा किये गये एकरारनामा की प्रति कार्यालय में उपलबध है। जिसकी प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
18	ढुलाई पर अधिक व्यय रू0. 0.28 लाख	उक्त के आलोक में कहना है कि योजना प्रयोक्त सामाग्री एवं बी0.ओ0 क्यू0. में सामाग्री के कैरेज कोस्ट निर्धारित की गई थी इसके अनुसार ही सामाग्री का कय से संबधित विपत्र के आलोक में ही भुगतान की गई है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
19	योजना में अनियमित भुगतान	उक्त के आलोक में कहना है कि हयूम पाईप 5 के जगह 9 लगाई गई है जिसे की स्थानीय लोगो के विवाद के बाद लगायी गई थी जिसकी जॉच की जा सकती है। एवं स्थानीय विवाद के कारण ही कार्य को रोकना पर गया था अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
20	निधि का एक खाते से दूसरे खाते में हस्तान्तरण	सरकार के निर्देशानुसार SJRY का प्रोग्राम बंद होने के उपरान्त NULM का नया प्रोग्राम चालू किया गया जिसमें SJRY का पैसा NULM के खाते में हस्तान्तरण करने से संबंधित दिशा निर्देश था।जिसके आलोक में ऐसा किया गया अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाये।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद ...ोल

21	मापी पुस्त में संदेहास्पद मापी दर्ज किया जाना	अंकेक्षण के उठाये गये आपति के आलोक में कहना है कि योजना के संबंध में की गई भूगतान नियमानुकूल ही किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
22	अंकेक्षण में अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिनकी जॉच नही कि गई	उक्त के आलोक में कहना है कि अंकेक्षण के दौरान सुझाये गये अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है। जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका को विलोपित करने कि कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद खगौल